राजस्थान सरकार

ग्राम पंचायत विकास योजना व पंचायत समिति विकास योजना का जिला विकास योजना के साथ जुडाव

एवं

संम्पूर्ण जिला विकास योजना का प्रारूप

पंचायती राज विभाग, जयपुर (राजस्थान)

Deloitte Touche Tohmatsu India LLP

1

जिला विकास योजना

- मिशन अंत्योदय के माध्यम से अन्तराल को जीपीडीपी में सम्मलित करना, जिनका समाधान जीपीडीपी, बीडीपी में नहीं हुआ उन्हें डीडीपी में सम्मलित करना।
- जिला विकास योजना जरूरत आधारित योजना है जिसमें जीपीडीपी, बीडीपी योजनाओं के पूरक के रूप में काम करने की परिकल्पना की गयी हैं।
- जिला विकास योजना मे राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे–स्थायी विकास लक्ष्यों और वरियताओं को पूरा करने में योगदान करने में भी मदद करती है।
- जिला स्तर संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी जिला विकास योजना में शामिल करना चाहिए भले ही इन्हें संबंधित विभागों द्वारा लागू किया जा रहा हो।

जिला विकास योजना

• जीपीडीपी ग्राम पंचायत स्तर एवं बीडीपी पंचायत समिति स्तर पर तैयार और अनुमोदित की जाती है इसके बाद जिला पंचायत अग्रेषित की जाती हैं।

❖ उन गतिविधियों को जिन्हें एक से अधिक ग्राम पंचायतों में लागूं करना है।

❖ जिन्हे पंचायत समिति विकास योजना में सम्मलित नहीं किया जा सकता हैं।

❖ इसी प्रकार पंचायत समिति विकास योजना की ऐसी गतिविधियों जिन्हे एक से अधिक ब्लॉक में लागू करना है लेकिन तकनीकी दक्षता या संसाधनों की कमी के कारण पंचायत समिति विकास योजना में शामिल नहीं किया जा सकता हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिती एवं जिला परिषदों में आर्थीक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की तैयारी हेतु अधिदेश का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 243जी के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को ग्रामीण क्षैत्र के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत समीति विकास योजना एवं जिला विकास योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है।
- अनुच्छेद 243जेड़ डी द्वारा प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है।
- 11वीं अनुसूचि में वर्णित 29 विषयों से संबधित विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ व्यापक एवं सहभागी नियोजन होना चाहिए।

जिला विकास योजना की आवश्यकता क्यों?

•14वें वित आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने वित वर्ष 2015–2016 से ग्राम पंचायतों को अपने क्षैत्र में बुनियादी सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए सत् प्रतिशत अनुदान दिया गया जिसका उपयोग अनुमोदि GPDP के अनुसार करना था।

•पंचायती राज मंत्रालय ने 15वे वित आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त पंचायती समिति एवं जिला परिषदों के लिए भी अनुदान देने की सिफारिश करने का अनुरोध किया जिसे भारत सरकार ने मान लिया और वितिय व 2020–2021 के लिए तीनो के स्तरों के लिए **60750 करोड़** रूपये आवटित किये है।

•राज्य में 15वें वित आयोग की अनुदान राशि का आवंटन **75%GP** को, **20% PS** को व **5% ZP** के लिए किया है।

•ठस प्रकार **20%** राशि **PS** को व **5% ZP** को जो आवंटित की गई है की व्यापक एवं समावेशी सहभागी योजना आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा पर तैयार कर क्रियानवित करनी है।

संस्थागत संरचना

राज्य स्तरीय समन्वय स मति **(SLCC)**

भू मका

और तकनीकी सहायता के ववरण सहित योजनाओं और संसाधनों के अ भसरण पर निर्देश जारी करना.

- ❑ प्रत्येक GPs के लए सुगमकर्ताओं का नामांकन सुनिश्चित करना
- ❑ प्रासं गक हितधारकों की क्षमता निर्माण और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना
- ❑ योजना प्र क्रया की निगरानी करना
- ❑ GP में SDGs की प्रगति का आंकलन करना ता क उनका स्थानीयकरण सुनिश्चित हो सके
- ❑ क्रयान्वयन समन्वय मुद्दों का समाधान

रचना

- ❑ अध्यक्ष - प्रमुख स चव, RD&PRD
- ❑ अन्य सदस्य -
- ❑ नियोजन प्र क्रया से संबं धत सभी लाइन डपार्टमेन्ट के स चव / मुख्य स चव
- ❑ शासन स चव एवं आयुक्त, PRD

जिला योजना प्रकोष्ठ

भू मका

- ❑ वकेंद्रीकृत भागीदारी, एकीकृत वा षक जिला योजनाओं की तैयारी के लए सभी वभागों और क्षेत्रों के साथ समन्वय करना
- ❑ योजना से संबं धत निर्णय लेना और योजना प्र क्रया के लए नियोजन दिशानिर्देश, योजना सी लंग, बजट आदि प्रदान करना
- ❑ वकेंद्रीकृत नियोजन के संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करना
- ❑ प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रयान्वयन पर मंत्रालय को प्रति क्रया भेजना
- ❑ SLCC बैठक की व्यवस्था तथा BLCC, BRG, DLCC एवं DRG के प्रतिनि धयों पर आधारित एजेन्डा तैयार करना।

रचना

- ❑ अध्यक्षता शासन स चव एवं आयुक्त, PRD द्वारा की जाती है.

जिला स्तरीय समन्वय स मति **(DLCC)**

भू मका

- ❑ नियोजन से संबं धत आदेशों और दिशानिर्देशों का क्रयान्वयन और सु वधाकर्ताओं का नामांकन
- ❑ जिला और उप-जिला स्तरों पर लाइन डपार्टमेन्ट के साथ समन्वय तथा MGNREGS एवं SBM के साथ अ भसरण
- ❑ GPs और जिला स्तरों पर SDG के प्रभावी क्रयान्वयन को मजबूत करना
- ❑ जिला स्तर पर वातावरण निर्माण तथा मी डया के साथ समन्वय करना
- ❑ सभी हितधारकों की समन्वय क्षमतावर्द्धन करना
- ❑ निर्धारित समय अव ध के भीतर परियोजनाओं का तकनीकी पुनरीक्षण और अनुमोदन सुनिश्चित करें
- ❑ GPDP योजना और क्रयान्वयन प्र क्रया की निगरानी करना
- ❑ जिले में SLCC को मुद्दों और सफारिशों पर रिपोर्ट प्रदान करना

रचना

- ❑ अध्यक्ष - जिला कलेक्टर
- ❑ योजना से संबं धत लाइन डपार्टमेन्ट के जिला स्तर के अ धकारी
- ❑ जिला योजना प्रकोष्ठ के सदस्य
- ❑ पंचायत प्र शक्षण केंद्र, KVK, RSETI आदि के प्रतिनि ध।
- ❑ DLCC की बैठक में जिला परिषद के **2** सदस्यों को भी आमंत्रित कया जा सकता है.

भू मका और रचना -DPC

जिला योजना स मति (DPC)

भू मका

- सभी PRI, ULB और लाइन डपार्टमेन्ट से वा षक योजनाओं को जिले के लए मसौदा वकास योजना में समे कत करना
- योजना की समीक्षा
- आवश्यकता के आधार पर बैठक बुलाने और वा षक योजना को मंजूरी देने के लए
- सामान्य हितों के मामलों पर वचार करें

रचना

- **20** सदस्यों को शहरी और ग्रामीण आबादी के अनुपात के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनि ध चुना जाता है
- जिला कलेक्टर
- CEO
- ACEO
- लोकसभा या वधान सभा के **2** स्वयंसेवक मंत्री
- सदस्य स चव - CPO

ब्लॉक स्तरीय समन्वय स मति**(BLCC)**

भू मका

- GPDP में तकनीकी सहायता के लए BRG का गठन तथा प्रत्येक GP के लए सुगमकर्ताओं का नामांकन सुनिश्चित करना
- ब्लॉक / क्लस्टर और GP के बीच समन्वय
- GP और ब्लॉक स्तरों पर SDG के प्रभावी क्रयान्वयन और समेकन सुनिश्चित करना
- MGNREGS और SBM योजनाओं तथा संसाधनों का अ भसरण
- GP और वार्ड स्तरों पर क्षमतावर्द्धन का ध्यान रखना
- ब्लॉक और जमीनी स्तर पर वातावरण निर्माण तथा मी डया के साथ समन्वय करना
- निर्धारित समय अव ध के भीतर परियोजनाओं का तकनीकी पुनरीक्षण और अनुमोदन सुनिश्चित करना
- ब्लॉक में DLCC को मुद्दों और सफारिशों पर रिपोर्ट प्रदान करना

रचना

- अध्यक्ष - SDM
- सदस्य स चव - खंड वकास अ धकारी
- अन्य सदस्य योजना से संबं धत ब्लॉक स्तर के अ धकारी हैं
- GPs के **5** निर्वा चत प्रतिनि ध, निजी आय वृ द्ध के अनुसार आमंत्रित कया जाये। .

स्थायी स मति **(SC)**

भू मका

- स्थायी स मतियों को सौंपे गए वभागों की गति व धयों की निगरानी तथा समीक्षा करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में योजना निर्माण की तैयारी की समीक्षा और राज्य सरकार के आदेशों और दिशानिर्देशों के आधार पर क्षेत्रीय योजनाओं का एकीकरण
- निगरानी और उनके वकास योजनाओं के क्रयान्वयन की प्रगति की मा सक समीक्षा तथा उच्च अ धकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रे षत करना

रचना

- स्थायी स मतियों के अध्यक्ष और पदेन सदस्य - सरपंच / प्रधान / प्रधान
- प्रत्येक स्थायी स मति में **5** निर्वा चत सदस्य प्रशासन और स्थापना स मति को छोड़कर
- प्रशासन और स्थापना स मति - अन्य स्थायी स मतियों के प्रमुख पदेन सदस्य होते हैं.

सपोर्ट सिस्टम

राज्य संसाधन समूह **(SRG)**

भू मका

- ❑ नियोजन प्र क्रया के दौरान हेल्पलाइन और चलता- फरता एकक के रूप में कार्य.
- ❑ नियोजन प्र क्रया पर प्र शक्षण और क्षमतावर्द्धन अभ्यासों की निगरानी तथा नियोजन हेतु सहायता प्रदान करना
- ❑ प्र शक्षण मॉड्यूल और सामग्री के वकास में IGPR & GVS को सहायता प्रदान करना
- ❑ योजना प्र क्रया के दौरान GP को तकनीकी सहायता प्रदान करना

रचना

- ❑ वकेंद्रीकृत योजना से संबं धत कार्यरत अ धकारी
- ❑ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अ धकारी
- ❑ वकेन्द्रीकृत नियोजन के अनुभवी सेवानिवृत्त अ धकारी
- ❑ गैर सरकारी संगठन / सामुदायिक संगठन के प्रतिनि ध
- ❑ स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनि ध
- ❑ कॉलेज / वश्व वद्यालय से वशेषज्ञ
- ❑ IGPR & GVS से क्षमतावर्द्धन के प्र शक्षण अ धकारी और SPRC के वषय- वशेषज्ञ

जिला संसाधन समूह(DRG)

भू मका

- जिला और ब्लॉक स्तर पर नियोजन प्र क्रया पर प्र शक्षण और क्षमता निर्माण अभ्यास की निगरानी और सहायता प्रदान करना
- जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली गति व धयों के लए तकनीकी पुनरीक्षण
- प्र शक्षण सामग्री का वश्लेषण करना और गुणवत्ता के बारे में राज्य को प्रति क्रया देना
- योजना प्र क्रया के दौरान GPs को तकनीकी सहायता प्रदान करें
- या के दौरान हेल्पलाइन और मोबाईल यूनिट के रूप में कार्य

रचना

- वकेंद्रीकृत योजना से संबं धत कार्यरत अ धकारी
- जिला परिषद के अ धशाषी अ भयंता
- वकेन्द्रीकृत नियोजन में अनुभवी सेवानिवृत्त अ धकारी
- गैर सरकारी संगठन / सामुदायिक संगठन के प्रतिनि ध
- स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनि ध
- कॉलेज / वश्व वद्यालय से वशेषज्ञ

ब्लॉक संसाधन समूह **(BRG)**

भू मका

- ❑ व भन्न हितधारकों को प्र शक्षण प्रदान करना
- ❑ ब्लॉक और GP स्तर पर आयोजित प्र शक्षण की निगरानी
- ❑ ग्राम पंचायतों में वकेंद्रीकृत योजना और योजना के क्रयान्वयन में सहायता प्रदान करना
- ❑ क्षेत्र में नियोजन से संबं धत मुद्दों के निपटान हेतु मोबाईल यूनिट का गठन
- ❑ ब्लॉक स्तर पर तकनीकी गति व धयों में सहायता करना.

रचना

- ❑ वकेंद्रीकृत योजना से संबं धत कार्यरत अ धकारी
- ❑ जिला परिषद के सहायक अ भयंता
- ❑ अनुभवी सेवानिवृत्त अ धकारी
- ❑ गैर सरकारी संगठन / सामुदायिक संगठन के प्रतिनि ध
- ❑ स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनि ध
- ❑ एक कॉलेज / वश्व वद्यालय से वशेषज्ञ

ग्राम पंचायत समन्वय स मति **(GPCC)**

भू मका

- ❑ मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वातावरण निर्माण कर ग्राम सभा में कार्यसूची तैयार करते हुए GP योजना प्र क्रया को सुगम बनाना
- ❑ संसाधनों और योजनाओं / कार्यक्रमों की स्टॉक टे कंग
- ❑ ग्राम पंचायत के DSR बनाने के उपरांत आवश्यक गति व धयों का निर्धारण व प्राथ मकीकरण उपरांत योजना प्रारूप तैयार करना।
- ❑ BRG द्वारा प्रारूप योजना पर तकनीकी पुनरीक्षण कर ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु रखे
- ❑ योजना प्र क्रया के लए **5** कार्यकारी समूह का गठन करें
- ❑ GP में सु वधाकर्ताओं का नामांकन

रचना

- ❑ अध्यक्ष - सरपंच
- ❑ सदस्य स चव - ग्राम वकास अ धकारी
- ❑ अन्य सदस्य योजना से संबं धत ग्राम स्तर के अ धकारी (ANM / ASHA, स्कूल शक्षक) हैं.

कार्य समूह

ROLE

- पारिस्थितिकी वश्लेषण और DSR की तैयारी में स्थायी स मतियों को सहायता प्रदान करना
  - प्राथ मक समंकों और द् वतीयक समंकों का समन्वयन संग्रह
  - सुझाए गए प्रारूपों के अनुसार स्टॉक टे कंग करना
  - पारिस्थितिकी वश्लेषण के दौरान आवश्यक मुद्दों को सम्बो धत करने हेतु GPCC को संभा वत रणनीतियों का सुझाव
- वजन दस्तावेज बनाने में GPCC की सहायता करना
- कार्यों के परियोजनाकरण में GPCC की सहायता करना

रचना

- प्रत्येक समूह में **10** से अ धक सदस्य नहीं हैं
- वषय- वशेषज्ञों द्वारा निर्दे शत जैसे महिला एवं बाल वकास वभाग में कार्य समूह की आशा सहयो गनी
- अन्य सदस्य स्वैच्छिक नागरिक होना चाहिए

भू मका और रचना – **SOCIAL MOBILIZERS**

सामाजिक कार्यकर्त्ता

भू मका

- ❑ नागरिकों में जागरूकता फैलाना
- ❑ ग्राम सभा में बढ़ता भागीदारी दर
- ❑ क्षेत्र भ्रमण के दौरान नागरिकों के मुद्दों का चन्हीकरण

रचना

- ❑ प्रत्येक वार्ड में **2** स्वैच्छिक सदस्य
- ❑ **1** पुरुष और **1** महिला

जिला विकास योजना का योजना चक्र

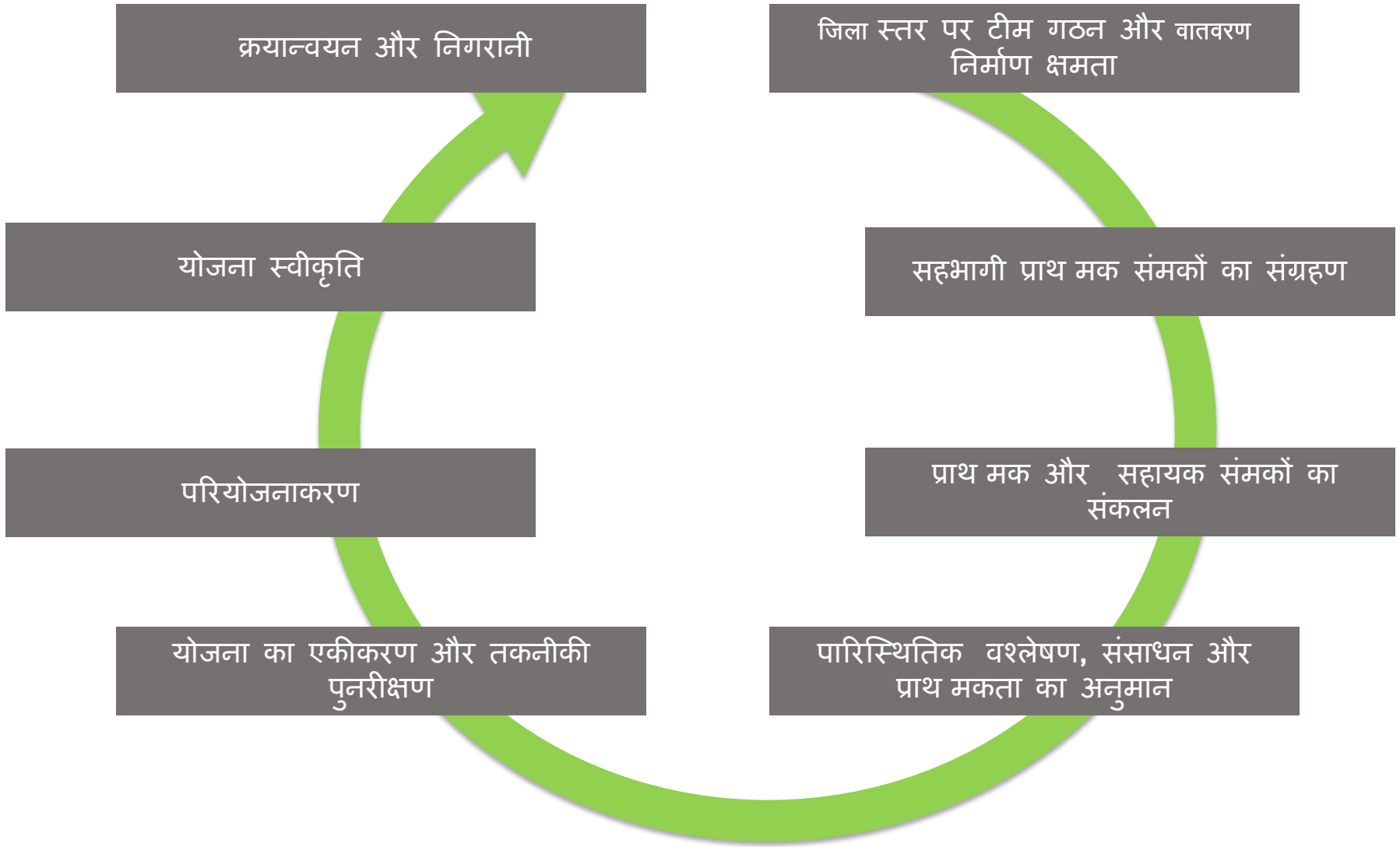

जिला नियोजन समिति का गठनः–

जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कर इसमे जिला स्तर के विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित सदस्य, एन आर एल एम के प्रतिनिधि को सुविधा प्रदाता बनाया जा सकता है। यह समिति वतावरण निर्माण से लेकर योजना अनुमोदन तक और इसके बाद कियान्वयन एवं मोनिटरिग में भी सहयोग करेगी।

वातावरण निर्माणः–

इसके लिए जिला सभा का आयोजन करना ताकि लोगो में जागरूकता पैदा करके शुरूआत कि जा सके। जिला सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी, यह कार्य निर्वाचित महिला प्रतीनिधि, स्वयं सहायता समूह, महिला सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। लोगो में उत्सव जैसा महोल तैयार किया जावें जिसमें नुक्कड नाटक दिवार लेखन, रेडियों टीवि के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है

डेटा संग्रहः–

जिला स्तर के प्राथमिक डेटा का संग्रहण, दितीयक समंक जनगणना, सामाजिक आर्थीक जातिगत गणना तथा संबध विभागों के प्रकाशित ऑकडे, एम ऐ सर्वे इतियादी से ब्लॉक स्तर के ऑकडे एकत्रित करना।

स्थिति विश्लेषणः–

एकत्रित किये गये डेटा के आधार पर स्थिति विश्लेषण कर जिला स्तर पर क्या क्या सुविधाए है क्या नही है के आधार पर गेप चिन्हित किये जाने चाहिए। इसके आधार पर प्राथमिकता निर्धारण करना इसमें एक से अधिक पंचायत समिति की आवश्यकता पूरी हो रही हो ऐसी गतिविधियॉ विशेष रूप से ली जानी चाहिए।

विकास की स्थिति संबधी रिपोर्टः–

स्थिति विशलेषण के पश्चात वर्किंग ग्रुप विकास की स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगी इसमें गत 3 से 5 वर्षो में हुई प्रगति, राशि का आवंटन, उपयोग, खर्च एवं भौतिक उपलब्धि का विश्लेषण करना साथ ही विभागों की चल रही योजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना इत्यादि कार्य।

योजना पूर्व विचार विमर्शः–

DSR रिपोर्ट के मसौदे को विशेष जिला सभा की बैठक में विचार विमर्श के लिए रखा जाना चाहिए।

योजना के लिए संसाधन :–

स**सा**धन केवल वितिय **संसाधन** तक ही सीमित नहीं है बल्की इसमें

- **समाजिक संसाधन :–** समाज में शान्ति सामाजिक सदभावना, संस्थागत शक्ति
- **प्राकृतिक संसाधन :–** भूमि, वन, जल, वायु और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी संसाधन
- **मानव संसाधनः–** ब्लॉक के निवासी, किसी दूसरी हैसियत से जुडे लोग, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, एन.जी.ओ इत्यादि।
- **वितीय संसाधनः–** ओ.एस.आर, एफ.एफ.सी, एस.एफ.सी, सी.एस.एस एवं राज्य योजनाएं एवं दानदाताओं से अनुदान इत्यादि।

संबधित विभागों के कार्मिको की भागीदारीः–

संबधित विभाग जिला सभा की बैठक में अपने अपने विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी देगे।

जिला विकास योजना मसौदे को अंतिम रूप देनाः–

सभी तरह के विचार विमर्श के बाद उपलब्ध वितिय संशाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जिला विकास योजना के मसौदे का जिला की विशेष सभा से अनुमोदित करवया जाना चाहिए।

योजना का क्रियान्वयन एवं मोनिटरिगः–

इसके पश्चात अनुमोदित विकास योजना की गतिविधियों का ई–ग्राम स्वराज पार्टल पर अपलोड करना तथा एक्सन सोफ्ट पोर्टल के माध्यम से गतिविधियों का क्रियान्वयन करना तथा त्रैमासिक आधार पर जिला स्तर पर प्रगति की समीक्षा करना।

धन्यवाद